केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 333 गुरूवार 27 जून 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

प्रयागराज में मालगाडी के कई डिब्बे पटरी से उतरे

प्रयागराज (आभा)। दिल्ली–हावड़ा रूट पर प्रयागराज जंक्शन के पास बुधवार शाम एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। मालगाड़ी के तीन वैगन पटरी से नीचे उतर गए। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी कानपुर से पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर जा रही थी। उधर, डाउन ट्रैक पर हुई इस घटना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम के जरिए हावड़ा–दिल्ली के रूट की ट्रेनों को रोक दिया गया।

मालगाड़ी की डिरेल की सूचना मिलने पर आला अधिकारी, तकनीकी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव काम में जुट गए। जानकारी के मुताबिक गैस किट की मदद से पटरी से उतरे वैगनों को काटकर अलग किया गया। एक हिस्से को प्रयागराज जबकि दूसरे को छिवकी की ओर भेजा गया। उधर, गोरखपुर वंदेभारत एक्सप्रेस को दूसरी लाइन से पास दिया गया। इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव टीम पहुंच गई। दिल्ली–हावड़ा रूट के डाउन ट्रैक पर हुए इस हादसे में किसी प्रकार की कोई हताहत की बात सामने नहीं आई है।

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, ‘आज प्रयागराज में खाली मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में जान–माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना के कारण बाधित रेल मार्ग को साफ किया जा रहा है।

सभी विकास खण्डों में मिलेगा एक एफपीओ का लाइसेंस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बस्ती मण्डल के जनपदों मे समेकित कृषि वृद्धि प्राप्त करने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओं0) का प्रमोशन, सुदृढीकरण तथा वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से कृषि इनपुट–उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनो का लाइसेन्स, मण्डी लाइसेन्स, जी0एस0टी0 लाइसेन्स, प्रसंस्कृत/मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री हेतु एफ0एस0एस0आई0 लाईसेन्स एवं मार्केट लिंकेज हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त कृषि निदेशक अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 01 एफ0पी0ओं0 को लाईसेन्स से संतृप्त किया जायेगा।

रोजगार मेला 29 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय– एमसीसी, राजकीय आई.टी.आई. एवं कौशल विकास मिशन बस्ती के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन आगामी 29 जून पूर्वान्ह 10 बजे से राम राज बलराजी देवी इंटर कॉलेज स्थित कौशल विकास मिशन केन्द्र चिलमा बाजार बस्ती में किया जायेंगा। उक्त जानकारी देते हुए सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा ने बताया कि अन्तिम वर्ष के शिक्षणरत केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए भारत शीट लिमिटेड (मारूती ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी), (थर्ड पार्टी पेरोल) में जाब लोकेशन–गुजरात व अहमदाबाद द्वारा 250 रिक्त पदों पर चयन किया जायेगा।

ओम बिरला ने संसद में आपात काल पर रखवाया मौन: भड़का विपक्ष

नई दिल्ली (आभा)। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। पद संभालते ही उन्होंने साल 1975 के आपातकाल का जिक्र कर दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रवैये को भी लोकतंत्र विरोधी करार दे दिया। बुधवार को विपक्ष भड़क गया और जमकर हंगामा किया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच सदन को स्थगित कर दिया गया है।

बुधवार को संसद में मौन रखा गया। बिरला ने कहा, ‘इमरजेंसी ने भारत के कितने ही नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के उस काले कालखंड में, कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम दो मिनट का मौन रखते हैं।’

इसके बाद सत्तापक्ष के सदस्यों ने कुछ देर मौन रखा, हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी और टोकाटाकी जारी रखी। मौन रखने वाले सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और सत्तापक्ष के अन्य सांसद शामिल रहे।

उन्होंने कहा, ‘1975 में आज के ही दिन तब की कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट–फैक्टो रेटिफिकेशन किया था, इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मुहर लगाई थी। इसलिए अपनी संसदीय प्रणाली और अनगिनत बलिदानों के बाद मिली इस दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए, आज ये प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक है। हम ये भी मानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए।’

स्पीकर ने कहा, 1975 से 1977 का वो काला कालखंड अपने आप में एक ऐसा कालखंड है, जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कि कैसे उस समय इन सभी पर हमला किया गया और क्यों इनकी रक्षा आवश्यक है।’ उन्होंने कहा, ‘इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है।’

बिरला ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के भी लोकतंत्र विरोधी होने का दावा किया। उन्होंने कहा, ‘इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड ज्यूडिशियरी की भी बात कही, जो कि उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ऐसी असामाजिक और तानाशाही की भावना से भरी भयंकर कुरीतियां लेकर आई, जिसने गरीबों, दलितों और वंचितों का जीवन तबाह कर दिया।

बस्ती के नवागत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने सभाला कार्यभार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । रवीश गुप्ता ने बस्ती में बुधवार देर शाम को जिलाधिकारी पद का कार्यभार ग्रहण किया। वे उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के विशेष सचिव पद पर लखनऊ में कार्यरत थे। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्य विकास अधिकारी जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। पुलिस जवानों द्वारा जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।

उसके पश्चात उन्होंने कोषागार पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने सभी प्रकार के रजिस्टर प्रस्तुत करते हुए आवश्यक जानकारी दिया। अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित राजस्व एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता पर लागू करना है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था एवं जन समस्याओं का निस्तारण पर जोर दिया जाएगा।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक, विनोद पांडेय, आशुतोष तिवारी, मनोज प्रकाश, पीडी राजेश झा, डीपीआरओ रतन कुमार, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, सूर्यलाल, बजरंग बली पाण्डेय, अमित श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अरविन्द केजरीवाल सीबीआई रिमान्ड पर

नई दिल्ली (आभा)। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने मामले में केजरीवाल की पांच दिन की सीबीआई की हिरासत की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग की थी।

अदालत ने फैसले में कहा–सीबीआई के आवेदन को तीन दिन के लिए अनुमति दी जाती है। केजरीवाल को बुधवार को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अर्जी दी। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। केजरीवाल ने अदालत के समक्ष दावा किया कि वह इस मामले में निर्दोष हैं।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा कि सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मैंने पूरा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सिसोदिया दोषी हैं या कोई और दोषी है। मैंने कहा है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के साथ मैं भी निर्दोष हूं। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई इस मामले को सनसनीखेज बना रही है।

इस पर अदालत ने कहा कि मीडिया किसी सुर्खी को प्रमुखता देती है। उसको इस मामले में नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत मांग वाली अर्जी में कहा कि मामले में साजिश का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। इस मामले में केजरीवाल का सबूतों और मामले के अन्य आरोपियों से आमना–सामना कराए जाने की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से यह भी पूछ लिया कि केजरीवाल को अब गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी ने चुनाव के दौरान ऐसा करने से परहेज किया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अदालत में भी मामला लंबित था। चुनाव के दौरान एजेंसी का यह संयम दर्शाता है कि उन्हें तब गिरफ्तार नहीं किया गया जब वह चुनाव प्रचार में व्यस्त थे।

वहीं केजरीवाल के वकील ने सीबीआई की हिरासत लेने की अर्जी को संदिग्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि बेवजह द्वेषपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं। यह शक्ति के दुरुपयोग है। इससे पहले केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से 20 जून को दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की 21 जून के अंतरिम रोक के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने चूंकि विस्तृत आदेश पारित किया है इसलिए हम ठोस अपील दाखिल करेंगे।

संकल्पों के साथ मनाया गया कबीर साहित्य सेवा संस्थान का बारहवां स्थापना दिवस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कबीर साहित्य सेवा संस्थान का बारहवां स्थापना दिवस बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बी.एन. शुक्ल की अध्यक्षता में मनाया गया। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष सामईन फारूकी ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में संस्थान की ओर से सृजन के अनेक कार्य किये गये, भविष्य में इसका विस्तार किया जायेगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख समाजसेवी डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि कबीर साहित्य सेवा संस्थान महात्मा कबीर से प्रेरणा लेकर जन–जन को एकजुट करने का जो प्रयास कर रहा है वह आज की प्रमुख आवश्यकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा ने कहा कि समाज की विकास यात्रा में संस्थानों का विशेष महत्व है। कबीर साहित्य सेवा संस्थान निरन्तर सक्रिय है और गंगा जमुनी तहजीब को समृद्ध करने में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जो आज की आवश्यकता है। कहा कि आज जब जाति, धर्म, मजहब के नाम पर आये दिन इंसानियत लहूलुहान हो रही है ऐसे संस्थानों का महत्व बढ गया है जो विषम परिवेश में कौमी एकता की अलख जगा रहे हैं।

कबीर साहित्य सेवा संस्थान के बारहवे स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बी.के. मिश्र, पं. चन्द्रबली मिश्र, बाबूराम वर्मा आदि ने कहा कि समाज में वैमनस्यता दूर करने की दिशा में किये जा रहे प्रयास स्वागत योग्य है। दीपक सिंह प्रेमी, आादित्य राज आंशिक, ओम प्रकाश पाण्डेय, ओम प्रकाश धर द्विवेदी आदि ने कहा कि कबीर के पथ पर चलना सहज नहीं है फिर भी हमें इसी समन्वय का मार्ग चुनना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चन्द्र मोहन लाल श्रीवास्तव, माधुरी गुप्ता, दुर्गा प्रसाद मिश्र, गणेश मौर्य, दीनानाथ यादव, कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, लालजी पाण्डेय, नेबूलाल चौधरी आदि उपस्थित रहे। अंत में संस्थान के अध्यक्ष सामईन फारूकी ने उपस्थित जनों के प्रति आभार ज्ञापन किया।

पैमाइश के दौरान मारपीट, दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुण्डेरवा निवासी कुमकुम पत्नी राम औतार ने अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु पैमाइश के दौरान हुये मारपीट के मामले में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर न्याय की गुहार लगाया है।

एसपी को दिये पत्र में कुमकुम ने कहा है कि उसके गांव के गाटा संख्या 67 जो गड्ढा, गडही के नाम पर दर्ज है पर गांव के ही कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसके देवर कृष्णा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत किया। गत 24 जून को हल्का लेखपाल सन्तोष सिंह अपने सहयोगी को लेकर पैमाइश शुरू किया। इस दौरान प्रेमचन्द्र व विनोद पुत्र गनपत, बिन्दु पत्नी प्रेमचन्द्र, आशा पत्नी विनोद, आदित्य पुत्र प्रेमचन्द्र और संगीता पत्नी रामकरन आदि ने लेखपाल को पैमाइश करने से रोक दिया और कुमकुम को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दिया। गला दबाकर उसके हत्या का प्रयास किया गया। चीख सुनकर उसका देवर कृष्णा मौके पर पहुंचा तो उसे भी धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से मारा पीटा। मामले की सूचना 112 पर पुलिस को दिया गया। कुमकुम के अनुसार पुलिस ने न तो चोटों का मुआयना करवाया न ही दोषियों के विरूद्ध मुकदमा ही दर्ज किया। उसने एसपी से मांग किया है कि दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर समुचित कार्यवाही की जाय।

प्राथमिकता से हो जन शिकायतों का निस्तारण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड उ०प्र० बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल ने विभागवार संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की सर्किट हाउस सभागार में गहन समीक्षा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजना प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अवश्य मिलें। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि नहरो में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से प्राप्त शिकायतों का निराकरण तत्काल किया जाए, इसमें किसी प्रकार के लापरवाही न बरती जाए। बैठक में चिकित्सा, कृषि, अग्निशमन विभाग के अधिकारी अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। बैठक में संबंधित अधिकारी, पत्रकारबन्धु एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

बैठक से पहले सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड उ०प्र० ने विक्रमजोत एवं हर्रैया सीएससी केंद्र का निरीक्षण किया और कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए। उन्होने नगर पंचायत हर्रैया का निरीक्षण किया तथा बरसात के पानी से जाम नालियों की साफ–सफाई समय से कराये जाने का निर्देश संबंधित को दिया है, जिससे गंभीर बीमारियों से बचा जा सकें। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी–कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

जयंती पर याद किये गये छत्रपति साहूजी महाराज, वीपी. सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को सरदार सेना द्वारा प्रेस क्लब सभागार में अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी के संयोजन में छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती मनाने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को उनकी जयंती पर याद किया गया।

सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी बृजेश पटेल ने कहा कि छत्रपति साहूजी महाराज उन बहादुर एवं निर्भीक शासकों में शुमार होते हैं, जिन्होंने कुशलता पूर्वक सत्ता संचालन के साथ–साथ समाजसुधारक कार्यों से भी जीवन पर्यंत जुड़े रहे। छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1894 से 1922 तक कोल्हापुर में शासन किया. इन 28 सालों में उन्होंने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की. उन्होंने जन–जन को शिक्षित करने का मुहिम चलाया. कई शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

जयन्ती अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सरदार सेना के जिलाध्यक्ष विनय कुमार चौधरी, पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर वर्मा, सर्वेश चौधरी, शिवशंकर ‘शाका’ आदि ने छत्रपति साहूजी महाराज और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। कहा कि शाहूजी ने जाति–धर्म के भेद–भाव एवं अस्पृश्यता को खत्म करने के तमाम प्रयास किए। समाज के निचले वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत की, समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा देने के लिए अछूतों को कुओं–तालाबों जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं के साथ–साथ स्कूलों और अस्पतालों जैसे प्रतिष्ठानों की उपलब्धता कराने के लिए शाही फरमान जारी किया, इसके साथ ही उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों को वैध बनाया, और दलितों के उत्थान का प्रयास किया, उन्होंने कई कुप्रथाओं को भी खत्म करवाया। उनके योगदान से प्रेरणा लिये जाने की जरूरत है। जब तक समाज में असमानता, उत्पीड़न है छत्रपति साहूजी महाराज याद किये जायेंगे। कार्यक्रम के दौरान अभिषेक मौर्य, अखिलेश प्रजापति, शहजाद अंसारी, अमरजीत चौधरी, प्रशान्त चौधरी, राजकुमार चौधरी, चंदन कुमार, अशोक निषाद, आलोक यादव, सन्तोष कुमार, आकाश कन्नौजया, बसन्त चौधरी, दिवाकर पाल, शक्ति चौधरी, अंकुर पटेल, इरफान अहमद और डा. विनोद चौधरी सरदार सेना में शामिल हुये।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभिषेक चौधरी, अशोक चौधरी, राजकुमार पटेल, सफलदीप, विवेक चौधरी, सुनील चौधरी, राजा भैया, इन्द्रसेन, संजय चौधरी, विकास चौधरी, अवधेश कुमार, संदीप चौधरी, सुनील कुमार, राधेश्याम, चन्दन कुमार, अमरजीत चौधरी, प्रिन्स चौधरी, विमल किशोर, विकास, डा. निरंकार चौधरी, डा. सन्तोष यादव, आरिफ अंसारी, शहजाद आलम, डा. विनोद चौधरी, अनिल चौधरी, राजेश कुमार चौधरी, रवि गौतम, दिलीप कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, मनीराम चौधरी, राजेश चौधरी, करन चौधरी, सुरेन्द्र कुमार चौधरी, नागेन्द्र चौधरी, राजकुमार वर्मा, अजीत चौधरी, अंकुर चौधरी, आशीष कुमार चौधरी, गिरधारी चौधरी, अमित पटेल, अरूण कुमार, सुधाकर पटेल के साथ ही सरदार सेना के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री तक पहुंचा नागरिकों के उत्पीड़न, आर्थिक उगाही का मामला:पूर्व विधायक संजय प्रताप ने किया प्रभावी कार्यवाही की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रुधौली के तहसील भानपुर में खनन विभाग एवं तहसील प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किसानों एवं आमजमानस प्रताड़ित परेशान किये जाने के मामलों में जांच और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही का आग्रह किया है।

पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उन्होने नागरिकों ने अगवत कराया कि तहसील–भानपुर के अन्तर्गत रहने वालें किसानों एवं आमजनमास द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए अपने खेत से थोड़ी बहुत मिट्टी निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेत, मकान आदि में भरने के लिए ले जाने पर खनन विभाग एवं तहसील प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गाली–गलौज, मारा–पीटा जा रहा है। विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में दलालों को पैसे देकर सूचना इक्ट्ठा कराकर भाजपा कार्यकताओं, गरीब किसानों से मोटी रकब वसूली की जा रही है। जिससें क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

इसी कड़ी में उन्होने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि भानपुर तहसील में उपजिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा लड़ाई–झगड़ा, मार–पीट आदि में होने वाले धारा–151 के अन्तर्गत चालान में दोनों पक्षों को बुलाकर जो पक्ष ज्यादा पैसा दे दे रहा है। उस पक्ष के तरफ निर्णय कर 10–15 दिन के लिए जेल भेज दिया जा रहा है। संज्ञान में आया कि है कि लोगों से 20–25 हजार रूपये की वसूली की जा रही है। जिससे क्षेत्रवासियों में काफी आकोश व्याप्त है। और कर्मचारियों, अधिकारियों के इस कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

उन्होने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि दोनों मामलों की जांच कराककर जनहित में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के साथ ही आम जन मानस का उत्पीड़न और आर्थिक दोहन रोका जाय।

पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 2 पशु तस्कर गिरफ्तार

संवाददाता–कुशीनगर। मंगलवार की देर रात तरयासुजान थाना क्षेत्र के ग्राम हफुआ बलिराम रोड पर पोखरे के पास पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई। इसमें दो पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने 20 गोवंशीय पशु, एक ट्रक और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। तरया सुजान पुलिस को मुखबिर से देर इसी रास्ते पशु तस्करों का ट्रक बिहार जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इसके बाद से ही हफुआ बलराम मोड़ पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। देर रात एक ट्रक आता दिखा। पुलिस के रोकने के बाद भी बैरिकेडिंग तोड़ कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर घेर लिया तो पुलिस पर फायरिंग कर तस्कर भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक एक कर दोनों के पैर में गोली लगी और दोनों घायल होकर गिर पड़े। पशु तस्करों की पहचान रामछैल पुत्र नंदलाल निवासी कोपिया थाना बखीरा जनपद संतकबीरनगर और जकरूल अहमद उर्फ नीनक पुत्र तेरई निवासी मोहद्दीपुर थाना खलीलीबाद जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है। इनके कब्जे से दो तमन्चा 315 बोर, दो खोखा कारतूस बोर 315 बोर, दो जिन्दा कारतूस 315 बोर, 20 गोवंशीय पशु व एक ट्रक बरामद किए गए हैं।

तरया सुजान के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह, अपराध निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, एस एस एस श्यामलाल निषाद, विनय मिश्रा चौकी प्रभारी बहादुरपुर, दरोगा रणविजय सिंह, विमलेश द्विवेदी, प्रशिक्षु दरोगा शुभम वर्मा, हवलदार रमेश चन्द्र यादव, सिपाही अवनीश सिंह, मनोज कुमार, राहुल कन्नौजिया, अतीस कुमार, विवेक सिंह व ब्रिजेश यादव मुठभेड़ में शामिल रहे।

फिल्मी स्टाइल में बाइक चोरी

संवाददाता–देवरिया। एक बैंक के पास खड़ी बाइक फिल्मी स्टाइल में चोरी हो गई। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में हेलमेट पहने दो युवक दिख रहे हैं। दोनों बड़े आराम से बाइक के पास आते हैं, एक युवक वहीं रुकता है जबकि दूसरा रास्ते पर नजर रखता है। बाइक के पास खड़ा युवक सबके सामने बड़े आत्मविश्वास से बाइक स्टार्ट करता है, जैसे बाइक उसी की हो, फिर बाइक लेकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाले कौशल यादव चौराहे पर जन सेवा केंद्र चलाते हैं। रोज की तरह बुधवार को भी उन्ह्होंने बैंक ऑफ इंडिया की डुमरी शाखा के पास अपनी बाइक खड़ी की और फिर अपने सेंटर पर चले गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दो युवक हेलमेट पहने सड़क से बाइक की ओर बढ़ते हैं। एक युवक थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है और निगरानी करने लगता है। दूसरा युवक बाइक के पास जाता है।

बाइक स्टार्ट करता है और मुड़कर दूसरे युवक के पास चला जाता है। इसके बाद दोनों युवक आराम से बाइक लेकर चले जाते हैं। इस चोरी के बारे में लोगों को जानकारी मिली तो चौराहे पर हड़कंप मच गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। रामपुर कारखाना के थानेदार नंदा प्रसाद फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना देखने के बाद पुलिसवाले भी हैरत में आ गए। पुलिसकर्मियों ने वारदात की सूचना उच्च अधिकारियों को देने के बाद छानबीन शुरू कर दी है।

कार्यालय ग्राम पंचायत अहिरौली विकास खण्ड- बनकटी, जनपद- बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **अहिरौली,** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 30–06–2024 से दिनांक 03–07–2024 को 10:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **अहिरौली,** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 05–07–2024 को अपरान्ह 02:30 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **अहिरौली,** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

आविदा खान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–अहिरौली
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

प्रमोद कुमार मिश्र
सचिव
ग्राम पंचायत–अहिरौली
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत हल्लौर नगरा विकास खण्ड- बनकटी, जनपद- बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हल्लौर नगरा,** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 30–06–2024 से दिनांक 03–07–2024 को 10:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **हल्लौर नगरा,** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 05–07–2024 को अपरान्ह 01:30 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **हल्लौर नगरा,** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

विन्दू
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत——हल्लौर नगरा
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

प्रमोद कुमार मिश्र
सचिव
ग्राम पंचायत–हल्लौर नगरा
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत भौरा विकास खण्ड- बनकटी, जनपद- बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भौरा,** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 30–06–2024 से दिनांक 03–07–2024 को 10:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **भौरा,** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 05–07–2024 को अपरान्ह 12:30 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **नेकसुही,** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

नीमा चौधरी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–भौरा
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

प्रमोद कुमार मिश्र
सचिव
ग्राम पंचायत–भौरा
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत पिकौरा शुक्ल विकास खण्ड- बनकटी, जनपद- बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिकौरा शुक्ल** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 30–06–2024 से दिनांक 03–07–2024 को 10:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **पिकौरा शुक्ल** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 05–07–2024 को अपरान्ह 11:30 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **पिकौरा शुक्ल** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

सुरेश
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–पिकौरा शुक्ल
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

प्रमोद कुमार मिश्र
सचिव
ग्राम पंचायत–पिकौरा शुक्ल
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरा सुकाली विकास खण्ड- बनकटी, जनपद- बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिपरा सुकाली,** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 30–06–2024 से दिनांक 03–07–2024 को 10:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **पिपरा सुकाली,** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 05–07–2024 को अपरान्ह 11:30 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **पिपरा सुकाली,** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अनुपम त्रिपाठी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–पिपरा सुकाली
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

प्रमोद कुमार मिश्र
सचिव
ग्राम पंचायत–पिपरा सुकाली
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत बेलसुही विकास खण्ड- बनकटी, जनपद- बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बेलसुही,** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 30–06–2024 से दिनांक 03–07–2024 को 10:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **बेलसुही,** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 05–07–2024 को अपरान्ह 10:30 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **बेलसुही,** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

उमेश
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–बेलसुही
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

प्रमोद कुमार मिश्र
सचिव
ग्राम पंचायत–बेलसुही
विकास खण्ड–बनकटी जनपद बस्ती

भारत में प्रवेश कर रही थी चीनी महिला, बार्डर पर ही गिरफ्तार

संवाददाता–महराजगंज। भारत नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर की पगडंडी पर चीन की महिला गिरफ्तार हुई। सुरक्षा कर्मी उससे पूछताछ में जुटे हैं। वह महिला कहां जा रही थी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। वह नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश की। जानकारी के अनुसार, डंडा हेड के निकट भारत में अवैध रुप से प्रवेश कर रही थी। उसके पास प्रपत्रों की जांच की जा रही है। पुलिस व एसएसबी ने संयुक्त रुप से गिरफ्तारी की।पकड़ी गई महिला से सुरक्षा एवं खुफिया विभाग के अधिकारी पूछताछ में जुटे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी जय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है।

चोरी के आरोपी को आठ माह का कारावास

संवाददाता–श्रावस्ती। न्यायालय एसीजेएम ने बुधवार को एक चोरी के आरोपी को आठ माह की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार गिलौला थाने के एकघरवा निवासी संजय कुमार को साइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक साल पहले हुई चोरी का मुकदमा एसीजेएम न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को न्यायालय की ओर से आठ माह की सजा सुनाई गई। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

कार्यशाला लगा कर बताए गए नए कानून, परीक्षा भी कराई

संवाददाता–श्रावस्ती। केन्द्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए कानून लागू कराने के लिए बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें पुलिसकर्मियों को कानून की बारीकियां बताई गईं और परीक्षा भी कराई गई। एसपी घनश्याम चौरसिया ने नए कानून की जानकारी दी।

भारत सरकार की ओर से पारित किये गये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई 2024 से निर्धारित समय सीमा से लागू किया जाना है। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की ओर से पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें क्षेत्राधिकारी इकौना संतोष कुमार,पीओ विजय पाल ने तीन नए अधिनियमों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में सभी थाना प्रभारियों व थानों पर नियुक्त हेड मोहर्रिर व कांस्टेबल मोहर्रिर तथा अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सभी क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में नियुक्त 200 पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने नए अधिनियमों के केंद्र में दण्ड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता, तकनीक का समावेश तथा नये प्राविधानों को रेखांकित किया गया। प्रशिक्षण के बाद नए कानून से संबंधित कर्मचारियों की परीक्षा भी कराई गई।

युवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया आत्मदाह का प्रयास

संवाददाता–बलरामपुर। रेहरा बाजार थाना के गांव सोनापार के रहने वाले राजू पुत्र सुधई ने पुलिसिया उत्पीड़न से तंग आकर कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को पहुंचकर आत्मादाह का प्रयास किया। हालांकि कलेक्ट्रेट कर्मियो की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। इसके बाद उसने डीएम के समक्ष पेश होकर शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दिया। पीड़ित राजू ने डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि मेरे घर के पीछे आबादी की जमीन में खड़ंजा लगा हुआ है। जिस पर गांव के ही कन्हई, राम बच्चन और गुरबचन खड़ंजा पर लकड़ी रखकर रास्ता बंद कर दिए। तथा पीड़ित की निजी जमीन पर जबरन कब्जा कर रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने शपथ पत्र में आगे कहां है कि विपक्षी कन्हई रेहरा बाजार थाने में चौकीदार है। जबकि उसका भाई गुरबचन थाने में कांस्टेबल है।

झमाझम बारिश में सीएम योगी ने की गोसेवा

संवाददाता–गोरखपुर। मंगलवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद बुधवार सुबह झमाझम बारिश के बीच मंदिर की गोशाला में गोसेवा की। उन्होंने भीगने की परवाह न करते हुए गोशाला का भ्रमण कर गोवंश का हाल जाना और उन्हें अपने हाथों से गुड़ खिलाया। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन–पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गोसेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। बुधवार सुबह मानसून की पहली झमाझम बारिश के बावजूद वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गोशाला में उन्होंने चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्यामा, गौरी, गंगा, भोला आदि नामों से गोवंश को पुकारा। सीएम योगी की आवाज इन गोवंश के लिए जानी पहचानी है। प्यार भरी पुकार सुनते ही कई गोवंश दौड़ते–मचलते हुए उनके पास आ गए। बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें रोटी और गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री ने गोशाला के कार्यकर्ताओं से सभी गोवंश के स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी ली और देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए।

अवैध मिट्टी खनन करने वालों की दबंगई, राजस्व टीम के साथ की मारपीट

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे जेसीबी व छह ट्रैक्टर ट्राली को इटवा के नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने ट्रैक्टर के एक ड्राइवर को पकड़ लिया, बाकी भाग गए। जेसीबी चालक तो वाहन के साथ ही भाग खड़ा हुआ जिसका पीछा किया तो वह जेसीबी को लॉक कर भाग गया। मौके एक कार से पहुंचे दबंगों ने राजस्व टीम के साथ हाथापाई की और धमकी देते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर व ड्राइवर को सरकारी जीप से उतार कर अपने साथ लेकर फरार हो गए। नायब तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद व 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

नायब तहसीलदार इटवा अमित कुमार सिंह को सूचना मिली कि त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी पठान गांव के सिवान में अवैध मिट्टी खनन हो रहा है। वह राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक जेसीबी व मिट्टी परिवहन के लिए छह ट्रैक्टर–ट्रॉली मौजूद है। नायब तहसीलदार को देखकर पांच ट्रैक्टर के ड्राइवर भाग गए लेकिन एक पकड़ में आ गया। इस बीच जेसीबी चालक जेसीबी लेकर भागने लगा। पकड़े गए ट्रैक्टर ड्राइवर को सरकारी जीप में बिठा कर नायब तहसीलदार व उनकी टीम ने पीछा किया तो एक स्थान पर जेसीबी को लॉक कर उसका ड्राइवर फरार हो गया। इस बीच एक कार से अनुराग पांडेय निवासी बानदेई व 10 अज्ञात लोग पहुंचे। राजस्व टीम से मारपीट करते हुए धमकी देने लगे। सरकारी जीप में बिठाए गए अज्ञात ड्राइवर को जबरन छुड़ा कर अपने साथ लेकर चले गए।

नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह की तहरीर पर त्रिलोकपुर पुलिस ने अनुराग पांडेय व 10 अज्ञात के खिलाफ धारा 143, 186, 189, 353, 225, 506 व सार्वजनिक नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3, खनन खनिज अधिनियम की धारा 4 व खनन खनिज अधिनियम की धारा 21 के तहत केस दर्ज कर लिया। त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि नायब तहसीलदार की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

सार्वजनिक सूचना

मेरा नाम हरिजन पारसनाथ राजाराम था, आज से मैने अपना नाम हरिजन पारसनाथ रख लिया है। मुझे हरिजन पारसनाथ के नाम से जाना पहचाना जाय। हरिजन पारसनाथ, ग्राम–बागडीह पोस्ट–कोड़रा पाण्डेय जिला– बस्ती।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अभिषेक डिडवानिया पुत्र गोपाल डिडवानिया निवासी स्टेशन रोड दक्षिण दरवाजा निकट प्रकाश होटल बस्ती का निवासी हूं और अभिषेक मोटर बस्ती का प्रोपराइटर हूं। अभिषेक मोटर बस्ती के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 520305040050178 के चेक बुक का चेक संख्या 12594748, 0012130, 0012131, 0012132, 0033933, 0033934, 0033935, 0033936, 0090244, 0091792, 0091793, 0012134, 003498, 003499, 0034500, 0012012, 00129283, 00129285, 003996, 0012178, 0031037, 0031038, 00129345, 0091789, 0091790 009179, 0091703, 009705, 0091879, 0091880, 009181, 0074606, 0074607, 0091791, 0091709, 0091711, 0091714, 0091914, 0040948, 0040949, 0040950, 0027958, 0028096, 0074609, 0097803, 0051730, 005133, 0052437, 0052359, 0052361, 0052362, 005263, 0052442, 0069052, 0069053, 0069054, 0069055, 0069056 0069057 व 0091794 का चेक दिनांक 15–07–2022 को गायब हो गया है। तलाश करने पर भी नहीं मिला। और मिलने की उम्मीद नही लग रही है। उपरोक्त चेक मैने किसी के पक्ष में जारी भी नहीं किया है । यदि उपरोक्त गायब शुदा बैंक चेक कोई बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाय यह एक विधि विरुद्ध कार्य है और हमारी कोई जिम्मेदारी नही बनती है।

(अभिषेक डिडवानिया)
प्रोपराइटर– अभिषेक मोटर बस्ती।

कार्यालय, नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद-बस्ती

पत्रांक 98 /न0पं0न0बा0/2024–25/ दिनांक 25–06–2024

सार्वजनिक सूचना

नगर पंचायत नगर बाजार सीमान्तर्गत स्थित स्ट्रीट फूड वेन्डर, पान स्टॉल, खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं आदि को सूचित किया जाता है कि आप सभी अपने अपने प्रतिष्ठानों में उत्पादित होने वाले अपशिष्ठ पदार्थों को एकत्रित करने हेतु हरे एवं नीले रंग के पर्याप्त क्षमता के दो डस्टविन को अनिवार्य रूप से रखें तथा डस्टविन में एकत्रित होने वाले अपशिष्ठ को पंचायत के वाहनों में उपलब्ध कराये ताकि आपके प्रतिष्ठान में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ठ पदार्थो को सार्वजनिक स्थानो पर फेंके जाने से गंदगी उत्पन्न न हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि आपके आस–पास के 10 मीटर के परिधि में किसी भी प्रकार की गंदगी सार्वजनिक स्थलों पर पायी जाती है तो उस क्षेत्र के सम्बन्धित समीपस्थ दुकानदार/वेन्डर के विरुद्ध सुसंगत नियमो के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि कोई अन्य व्यक्ति गंदगी करता है तो उसकी सूचना नगर पंचायत के मो न0 9918256600 पर सूचित करें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती

नीलम सिंह
अध्यक्ष
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती

पत्रांक– /एस०बी०एम०/न०पं०न0बा०/ 2024–25 दिनांकः– /06/2024

कार्यालय, नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद-बस्ती

पत्रांक 99 /न0पं0न0बा0/2024–25/ दिनांक 25–06–2024

प्लास्टिक प्रतिबन्ध विषयक सार्वजनिक सूचना

नगर पंचायत नगर बाजार–बस्ती के क्षेत्रान्तर्गत समस्त दुकानदारों/उपभोक्ताओं/प्रयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है, कि उ०प्र० शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक (75 माइक्रोन से नीचे) के इस्तेमाल, भण्डारण, उत्पादन व बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

नगर पचायत नगर बाजार जनपद बस्ती की सीमा में प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है. 01 जुलाई 2022 से प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयर बड, प्लेट, कप, ग्लास, दोने, स्ट्रा मिठाई, के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, प्लाटिक के निमन्त्रण पत्र, 100 माइकोन से नीचें के सभी होर्डिंग/बैनर शामिल है। नगर पंचायत द्वारा पॉलीथीन रोकथाम अभियान के दौरान कोई भी व्यक्ति पालिथिन का प्रयोग करते हुए या स्टाक करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्यवाही करते हुए प्लास्टिक से सम्बन्धित सामान को जब्त कर, जुर्माना वसूला जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०–1056/9–7–18–29 (लखनऊ)/ 18 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अनुपालन में पॉलिथिन की बिक्री/उपयोग/उत्पादन किये जाने की दशा में निम्नवत अधिक दण्ड/जुर्माना की व्यवस्था की गयी है–

क्र0सं0	मात्रा	आर्थिक दण्ड/जुर्माना
01	100 ग्राम	1000/–रूपये
02	101 से 500 ग्राम	2000/–रूपये
03	501 से 01 किलोग्राम	5000/–रूपये
04	01 किलोग्राम से 05 किलोग्राम	10,000/–रूपये
05	05 किलोग्राम से अधिक	25,000/–रूपये

अतः समस्त दुकानदारो/उपभोक्ताओं/उत्पादनकर्ताओं आदि को आगाह किया जाता है कि, समस्त प्रकार की पालिथिन आदि का प्रयोग तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें, अन्यथा जाँच के दौरान मौके पर पालिथिन पाये जाने की दशा में आपके विरुद्ध उपरोक्त जुर्माना/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती,

नीलम सिंह
अध्यक्ष
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती,

पत्रांक– /एस०बी०एम०/न०पं०न0बा०/ 2024–25 दिनांकः– /06/2024

कार्यालय ग्राम पंचायत बेहरा विकास खण्ड- सांऊघाट, जनपद- बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत बेहरा, विकासखंड साऊघाट द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिंग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाडू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 02–07–2024 को 3:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत बेहरा में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्तें

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत बेहरा के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अजीत कुमार चौधरी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–बेहरा
विकास खण्ड–साऊघाट जनपद बस्ती

यशवर्धन
सचिव
ग्राम पंचायत–बेहरा
विकास खण्ड–साऊघाट जनपद बस्ती

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल– बस्ती

पत्रांकः निर्माण/निविदा/बस्ती/2024–81 दिनांकः 25.06.2024

–: अति0 अलपकालीन ई–निविदा सूचना :–

निम्न कार्यो की निविदा पत्रॉक 545 दिनांक– 10.01.2024 पत्रांक 575 दिनांक 6.02.2024 पत्रांक 600 दिनांक 15.02.2024 एवं पत्रांक–614 दिनांक–23.02.2024 पत्रांक 712 दिनांक 14.03.2024 एवं पत्रांक 60 दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से मण्डी परिषद एवं सरकारी विभागों/कार्यदायी सस्थाओं मे पंजीकृत (लो०नि०वि०, आर०ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, यू०पी०पी०सी०एल०) में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारो/फर्म से अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय बिड ई–टेण्डरिंग के माध्यम से दिनाक 24.06.2024 को अपरान्ह 4.00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड किये जाने हेतु आमंत्रित की गयी थी जो उसी दिन अर्थात दिनांक 24.06. 2024 को अपरान्ह 4.30 बजे तक खोली जानी थी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर आनलाइन खोली गई, जिसमे कोई निविदा न प्राप्त होने के कारण सम्बन्धित कार्य की निविदा पुनः ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर दिनाक 03.07.2024 को आमंत्रित की जाती है जो अपरान्ह 04.00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। जो उसी दिन निविदादाता, ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हुए) के समक्ष दिनांक 03.07.2024 को अपरान्ह 04:30 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आनॅलाइन खोली जायेगी। निविदा की तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय विड खोली जायेगी ।

क्र0 सं0	मण्डी समिति का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैद्यता	निविदा की श्रेणी	मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारो की श्रेण जो निविदा में प्रतिभाग कर सकते है
1		3	4	5	6	7	8		9
30	शोहरत गढ़	न0सं0मार्ग खुनवा शोहरतगढ़ मुख्य मार्ग से रमवापुर तिवारी गॉव तक। 2023_RKUMP_872743_8	46.75	4.35	8300.00	04	90	''स''	अ, ब, स,
31	शोहरत गढ़	न0सं0 मार्ग सेहूणी से पलिया सिसवा तक। 2023_RKUMP_872744_8	39.68	4.00	7100.00	03	90	''द''	अ, ब, स, द

नोटः–

(1) धरोहर धनराशि का मूल्य उपनिदेशक (निर्माण) के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा साऊघाट बस्ती के **खाता संख्या 30394488595** आई0एफ0एस0 कोड संख्या **SBIN0011200** एवं निविदा का मूल्य **खाता संख्या 30394488415** आई0एफ0एस0 कोड संख्या **SBIN0011200** उप निदेशक (निर्माण) के नाम अलग–अलग आर0टी0जी0एस0 करना होगा, जिसका बैंक से सत्यापित यू0टी0आर0 नम्बर हार्ड कापी में उपलब्ध कराना होगा, एवं अपलोड भी करना अनिवार्य होगा।

(2) निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों में से यदि कोई भी प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो ऐसे निविदादाता द्वारा मण्डी परिषद के खाते में जमा जमानत धनराशि को मण्डी परिषद के खाते में जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) मण्डी परिषद मुख्यालय के आदेश पत्राक मु0अभि0ग्रेड–2/(1168)/भाग–4/2005) /2022–641 दिनांक 11.08.2022 एवं पत्रांक 217 दिनांक 29.05.2023 एवं परिषद पत्रांक 487 दिनांक 11.07.2023 के अधीन 'अ' एव 'ब' श्रेणी मे मण्डी परिषद के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों/कार्यदायी संस्थाओं (लो०नि०वि०, आर0ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, यू०पी०पी०सी०एल०) में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निर्धारित नियमों के अनुरूप ही प्रतिभाग कर सकेंगे। पी0डब्लू0डी0, आर0ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, व यू०पी०पी०सी०एल०)विभाग 'अ' श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार ''अ'' व ''ब'' श्रेणी के कार्य में तथा ''ब'' श्रेणी में पंजीकृत फर्म ''ब'' श्रेणी के कार्य की निविदा में प्रतिभाग कर सकते है। अन्य श्रेणी के कार्यो में प्रतिभाग करने पर निविदा प्रथम दृष्टया निरस्त कर दी जायेगी।

(4) अन्य सरकारी विभागों मे पंजीकृत ठेकेदारों की निविदा प्रथम न्यूनतम आती है तो उन्हें मण्डी परिषद में पंजीकरण कराना होगा तथा अनुबन्ध गठन के समय 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

(5) विस्तृत नियम व शर्तें आनॅलाइन निविदा वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

उप निदेशक (निर्माण)

राम मंदिर गर्भगृह में नहीं टपका है एक भी बूंद पानी -चंपत राय

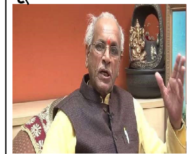

संवाददाता–अयोध्या। बारिश के बाद राम मंदिर के टपकने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। यह मामला अयोध्या ही नहीं पूरे देश में चर्चाओं में है। चर्चा इस बात की है कि करोड़ों रुपयों की लागत से बना मंदिर पहली बरसात नहीं झेल पाया। इस बार पर ट्रस्ट की तरफ से सफाई जारी की गई है। बारिश के दौरान राममंदिर की छत टपकने के मामले में अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कुछ तथ्य जारी किए हैं। चंपत राय का कहना है कि गर्भगृह जहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं, वहाँ एक भी बूंद पानी छत से नही टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है।

मंदिर और परकोटा परिसर में बरसात के पानी की निकासी का सुनियोजित तरीके से उत्तम प्रबंध किया गया है। जिसका कार्य भी प्रगति पर है। मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद मंदिर एवं परकोटा परिसर में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होगी। श्री रामजन्म भूमि परिसर मे बरसात के पानी को अंदर ही पूर्ण रूप से रखने के लिए रिचार्ज पिटो का भी निर्माण कराया जा रहा है।

वही रामनगरी में बुधवार भोर में सुबह तीन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर रामपथ धंस गया। इसके बाद रिकाबगंज मार्ग पर बैरियर लगाकर एक लेन पर आवागमन बंद कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इसके पहले शनिवार को रात भर हुई बारिश में रिकाबगंज के आसपास कई जगहों पर रामपथ धंस गया था। यहां गिट्टी और बालू डालकर मरम्मत कराई गई थी। एक बार फिर बारिश होने पर यहीं पर सड़क धंस गई है। आनन–फानन में जेसीबी से रोड की पटाई कराई जा रही है।

सीएम आवास चयन में अगर पात्र छूटे तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

संवाददाता–संतकबीरनगर। नाथनगर ब्लाक पर बुधवार को बीडीओ रूप नारायण भारती ने ग्राम पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर सीएम आवास पात्रता श्रेणी में आने वालों का नाम छूट गया तो सम्बन्धित सचिवों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने ग्रामवार चयन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने पीएम आवास लाभार्थियों के अधूरे आवास जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बीडीओ रूप नारायण भारती ने कहाकि मुख्य मंत्री आवास योजना में पात्रों का चयन दिव्यांग, विधवा सहित अन्य बिंदु का ख्याल रखकर करें। खुद गांव में पहुंचकर जांच कर रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जानकारी मिली कि कोई भी सचिव गांव पहुंचे बगैर जांच के ही पात्रता सूची तैयार कर ली है तो उनकी खैर नहीं होगी।

दैनिक
भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com